

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-वित्त/बजट) मध्यप्रदेश, प्रथम तल,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/बजट कक्ष 5810

भोपाल, दिनांक 17/12/19

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल
मध्यप्रदेश।

विषय:-मांग संख्या 10-3054-04-337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का संधारण
अंतर्गत उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष
2019-20

संदर्भ:- आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/व्यय आं./1867 दिनांक 25.11.2019

- 0 -

संदर्भित विषयान्तर्गत आपकी मांग एवं बजट उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये
10-3054-04-337-9999-9136-वनोपज निकासी मार्ग का संधारण अंतर्गत
उद्देश्य/विस्तृत शीर्ष 12-मजूदरी मद में निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आवंटन किया
जाता है :-

आहरण एवं संवितरण अधिकारी	(राशि रूपयों में) अतिरिक्त बजट आवंटन
वनमंडलाधिकारी दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमंडल	10,00,000

अतिरिक्त बजट आवंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

1. उक्त आवंटित राशि का व्यय वन वन वित्तीय नियमावली के अध्याय 10 के नियम 304 में वर्णित अनुसार वन मार्गों का संधारण कार्य कराया जाये।
2. कार्य आयोजना में दर्शित वनमार्ग का ही संधारण किया जाये।
3. वनमार्गों का एक पृथक रजिस्टर निम्न प्रपत्र अनुसार संधारित किया जाये -

प्रपत्र

क्रं.	वनमार्ग का नाम	पहाड़ी (कि.मी. में)	मैदानी (कि.मी. में)	योग (कालम नं. 3 एवं 4 का योग कि.मी. में)	व्यय की गई राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6

4. उक्त आवंटित राशि का व्यय किसी अन्य मद में न किया जाये।

5. शासन एवं मुख्यालय द्वारा इस संबंध में व्यय हेतु समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17/12/19

पृ.क्रमांक/बजट कक्ष/5811

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश भोपाल की ओर प्रेषित। कृपया उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय वृत्त बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. कक्ष प्रभारी, बजट आवंटन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) मध्यप्रदेश भोपाल, उक्त आवंटित राशि सर्वर में अपलोड करावें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट)
मध्यप्रदेश, भोपाल

श्री मन्तर उपाय

ACF / ACF (17)

19/12/19